

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

झाबर

बनाम



रामनिवास वगै०

किस्म मुकदमा

वाद पत्र 188

मु० न० 538 सन् 2024

जीसीएमएस नं. 2024/1197

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-12-2024	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री देशराज शर्मा एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना </p> <p>28/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/3/25 को पेश हो।</p> <p>17/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सब ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/06/25 को पेश हो।</p> <p>26/6 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थी P.O साहब दीगर कार्य ने बस्य है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/9/25 को पेश हो।</p> <p>8/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार भावाज वादपत्र के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं भाया। अतः वादी की वद पत्र भद्रम टाकरी व भद्रम पैरवी में स्वीरिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर शरिख हो 1</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

